संख्या-90/2022/823/001-23-9-2022-10नाबार्ड-ओ0डी0आर0-2017

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ:दिनांक 16 अगस्त, 2022

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के 03 चालू कार्यो हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रों(निम्न तालिका के कॉलम-2 में उल्लिखित) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित विवरणानुसार आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 03 चालू कार्यो हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 में तालिका के स्तम्भ-10 के अनुसार कुल रू0 9,84,23,000/- (रूपये नौ करोड़ चौरासी लाख तेईस हजार मात्र) की व्यपगत धनराशि /शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	मुख्य अभियंता(मु0-1) का पत्र	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक आवंटित धनराशि	बचत	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	967/CE-HQ1/RIDF25/SAH/2022-23 Dt- 04-08-2022	मुजफ्फरनगर	कूकड़ा मण्डी से भण्डूरा होते हुये कि0मी0 10 तक (मु0नगर जौली बेहड़ा सादात) मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य	75/2020/426/23-9-2020-11नाबार्ड (ओडीआर) /2020, दि0 27.03.2020	1729.88	1556.81	23.48	149.59	**54.57**
2	968/CE-HQ1/RIDF26/ADY/2022-23 Dt- 04-08-2022	सुल्तानपुर	लम्भुआ-जमखुरी अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	45/2021/118/23-9-2021-12नाबार्ड (ओडीआर) /202, दि0 25.02.2021	2042.89	1100.97	269.29	672.63	260.79
3	969/CE-HQ1/RIDF26/GKP/2022-23 Dt- 04-08-2022	कुशीनगर	तमकुही सिसवा नाहर अहिरौलीदान मार्ग(अ0जि0मा0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	शासनादेश सं0-183/2021/आई0/116188-लोक निर्माण अनुभाग-9	5922.7	2247.21	22.53	2652.96	668.87
			योग						**984.23**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) उक्त मार्गो को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण्पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(3) स्तम्भ-5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

(4) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 9,84,23,000 (रुपये नौ करोड़ चौरासी लाख तेईस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043378300 नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के चालू कार्यो हेतु एक मुश्त व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या-90/2022/823(1)/001-23-9-2022-10नाबार्ड-ओ0डी0आर0-2017 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- संबंधित जिलाधिकारी।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
6- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 /वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0शासन ।
12- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in